

गढ़

नम्बर व त
अहकाम ज
हुक्म की ताम
जारी हुए

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)
न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

तारीख दायर 4/3/2020 दिनांक निर्णय 24/07/2020

उनवान

पटवारी प०६० कीधोता बनाम चन्दो देवी पत्नी रेवडराम

आज पत्रावली मु. नायब तहसीलदार राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिकमी का स. 206-2076 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिकमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि-

गैरसायल चन्दो देवी पुत्र पत्नी रेवडराम
जाति खरीक निवासी कीधोता को
आराजी खसरा नं. 948, 959 रकबा 0.30, 0.25 किस्म खारपी वाके ग्राम कीधोता
से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 2.375 की 50 गुणा में मु.
168.75/- 169/- कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।


नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2020-21
के पृष्ठ संख्या 10 पर सि. च. व. 169
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार